न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 49 / 2024 दायर दिनांक–04.04.2024

1– माया देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति कुमावत निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)।

2– राकेश कुमार मारवाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मारवाल जाति कुमावत निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)।

3– श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री मनोज कुमार जाति कुमावत निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)।

.......वादीगण

बनाम

1– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)।

.......प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री दयाराम सैनी
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ
व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 27.11.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1047 / 481 रकबा 1.3667 हैक्टर स्थित है, जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जावेगी, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अमरचन्द, दामोदर प्रसाद, बबलेश कुमार, राकेश कुमार, विनोद कुमार पुत्रान् महाबीर प्रसाद जाति कुमावत सा. देह खातेदार, छोटी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर, जमनी देवी पत्नी बाबूलाल जाति कुमावत, रणजीत कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति कुमावत सा.देह खातेदार नाम दर्जशुदा चली आ रही है। नकल जमाबन्दी, नकल विक्रय–पत्र दावे के साथ प्रस्तुत है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के खातेदार राकेश कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद ने अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज में से हिस्सा 1487 / 68335 (यानिकि 297.40 वर्गमीटर) की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 12.09.2022 को वादीया नं. 1 को विक्रय दी तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार दामोदर प्रसाद पुत्र महाबीर प्रसाद ने अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज में से हिस्सा 10037 / 341675 (यानिकि 401.48 [illegible] भूमि [illegible] विक्रय–पत्र दिनांक 29.06.2020 को वादी नं. 2 को विक्रय दी तथा उक्त वा[illegible] भू[illegible] के खातेदार दामोदर प्रसाद पुत्र महाबीर प्रसाद ने अपने नाम से र[illegible] रिकॉर्ड में दर्ज में [illegible]स्सा 201 / 13667 (यानिकि 201 वर्गमीटर) की भूमि जरिये रजिस्टर्ड [illegible] वादीया नं. 3 को [illegible] तथा वादीगण अपने हिस्सेनुसार हिस्से का कब्जा प्राप्त क[illegible] क्रय के रोज से ही काबिज [illegible] खातेदार काश्तकार है, उपयोग उपभोग करते है। इस वाद में अन्य सह–खातेदारो से कोई विवाद नही है तथा न ही उनके हिस्से के संबंध में वाद–पत्र है। परन्तु वादीगण का नाम उसके द्वारा क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

की गई भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही हुआ है, वादीगण द्वारा क्रयशुदा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में राकेश कुमार, दामोदर प्रसाद का नाम से गलत दर्जशुदा चला आ रहा है, जिसका नाजाजय फायदा उठाकर व बिना वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त हुये बिना व बिना वादीगण को पक्षकार बनाये ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त राकेश कुमार एक दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी 'राकेश कुमार बनाम अमरचन्द वगैरह' मु.नं. 145 / 2022 का प्रस्तुत करके न्यायालय श्रीमान् को मुगालता देकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा उक्त स्थगन आदेश की आड में वादीगण को हैरान परेशान कर रहे है। वादीगण ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रो के आधार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करवाने हेतु पटवारी हल्का से निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ तो ही आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो सकता है। जबकि वादीगण अपने पक्ष में तस्दीक हुये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रो के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के पूर्ण अधिकारी है। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1047 / 481 रकबा 1.3667 हैक्टर में वादीया नं. 1 को हिस्सा 1487 / 68335 का, वादी नं. 2 को हिस्सा 10037 / 341675 का, वादीया नं. 3 को हिस्सा 201 / 13667 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार राकेश कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद को हिस्सा 211547 / 1366700 का, दामोदर प्रसाद पुत्र महाबीर प्रसाद को हिस्सा 292539 / 1366700 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा इसी हिस्सेनुसार वादीगण व राकेश कुमार, दामोदर प्रसाद का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष सह–खातेदारो के हिस्से यथावत रखे जाने आवश्यक व न्यायोचित हैं। इसलिये वादीगण के लिये यह दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादकारण दिनांक 20.03.2024 को वादीगण ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त विक्रय–पत्रो के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का से निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ तो ही आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्त हो सकता है। पटवारी हल्का द्वारा इंकार करने के रोज बमुकाम रामपुरा पैदा हुआ।

वादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि में दर्ज खातेदार राकेश कुमार, दामोदर प्रसाद पुत्रान् महाबीर प्रसाद से अलग–अलग रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रो के आधार पर क्रय किया है तथा वादीगण द्वारा क्रय करने के बाद शेष राकेश कुमार, दामोदर प्रसाद के हिस्से से कोई विवाद नहीं है, जिस कारण से उक्त राकेश कुमार, दामोदर प्रसाद की पूर्ण स्वतंत्र सहमति कानूनन है, इसलिये उन्हे वाद में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है।

अतः वाद वादीगण पेशकर निवेदन है कि:–

(क) वाद बहक वादीगण [illegible] किया जावें कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1047 / 481 रकबा 1.3667 हैक्टर में वादीया नं. 1 को हिस्सा [illegible] का, वादी नं. 2 को हिस्सा 10037 / 341675 का, वादीया नं. 3 को हिस्सा 201 / 13667 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार राकेश कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद को हिस्सा 211547 / 1366700 का, दामोदर प्रसाद पुत्र महाबीर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रसाद को हिस्सा 292539/1366700 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी हिस्सेनुसार वादीगण व राकेश कुमार, दामोदर प्रसाद का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष सह-खातेदारो के हिस्से यथावत रखे जावें और इसी हिस्सेनुसार वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावें।

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी नही पेश करना जाहिर किया। वादी द्वारा अपने वाद-पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात नकल जमांबंदी सम्वत 2075-78, फोटोकॉपी विक्रय पत्र राकेश कुमार मारवाल, फोटोकॉपी विक्रय पत्र कविता देवी, फोटोकॉपी विक्रय पत्र माया देवी आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर क्रय किया है। उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण को दिया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1047/481 रकबा 1.3667 हैक्टर में वादीया नं. 1 को हिस्सा 1487/68335 का, वादी नं. 2 को हिस्सा 10037/341675 का, वादीया नं. 3 को हिस्सा 201/13667 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार राकेश कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद को हिस्सा 211547/1366700 का, दामोदर प्रसाद पुत्र महाबीर प्रसाद को हिस्सा 292539/1366700 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 49 / 2024 **(माया देवी बनाम लैण्ड होल्डर,तहसीलदार)**

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.11.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1047 / 481 रकबा 1.3667 हैक्टर में वादीया नं. 1 को हिस्सा 1487 / 68335 का, वादी नं. 2 को हिस्सा 10037 / 341675 का, वादीया नं. 3 को हिस्सा 201 / 13667 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार राकेश कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद को हिस्सा 211547 / 1366700 का, दामोदर प्रसाद पुत्र महाबीर प्रसाद को हिस्सा 292539 / 1366700 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.11.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर
स. क. ए. एस. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested